







**क्या शाहीन बांग आन्दोलन को भाजपा ने प्रायोजित किया था**

आम आदमी पाटी-बाल्क जादा सही कहें तो अरविन्द के जरीवाल-ने गत 17 अगस्त को आरोप लगाया कि दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरुद्ध जो आन्दोलन चला था वह भाजपा द्वारा प्रयोजित था। उहोंने कहा, ध्यानसभा चुनाव में उत्तर-पूर्वी दिल्ली की कुछ सीटें पर भाजपा की जीत का श्रेय शाहीन बाग आन्दोलन के कारण हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच बनी खाई को जाता है। शाहीन बाग के कारण दिल्ली में भाजपा का बोट प्रतिशत 18 से बढ़ कर 38 हो गया। य अपने इस आरोप के समर्थन में आप ने कहा कि शाहीन बाग आन्दोलन में आप पाटी के तक आर आरप दान ही बेहूदा हैं। वे मनसिक दिवालियेपन का सुखूत तो हैं ही उनसे ऐसा भी लगता है कि आप एक राजनैतिक एजेंडे के तहत शाहीन बाग आन्दोलन को बदनाम करना चाहती है। यह स्वाधीन भारत के सबसे बड़े प्रजातान्त्रिक जनान्दोलन को लालित करने का प्रयास है। हाँ, आप के इस आरोप में दम है कि भाजपा दिल्ली के कुछ हिस्सों में लोगों को सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत कर अपना उद्घ सीधा करने में कामयाब रही।

आइए, हम देखें कि भाजपा की नीतियों और कदमों ने शाहीन बाग आन्दोलन को मजबूती

हिस्सेदारी करने वाले शहजाद अली और कुछ अन्यों ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। आरोप यह भी है महिला आन्दोलनकरियों ने छह लेन की कालिंदी कुंज सड़क का एक हिस्सा ही बंद किया था परंतु पुलिस ने उनकी मदद के लिए पूरी सड़क को ही एक किलोमीटर आगे से बंद कर दिया। आप के अनुसार यह इसलिए किया गया ताकि भाजपा को पफयदा मिल सके। उसका यह भी कहना है कि यह सब करने के बाद भी जब भाजपा चुनाव नहीं जीत सकी तो उसने दिल्ली में दो भड़काए। दी या उसे कमज़ोर किया। इसमें कौई संदेह नहीं कि आन्दोलनरत महिलाओं ने हाईवे के एक हिस्से को ही बंद किया था। परंतु भाजपा वे नियंत्रण वाली पुलिस द्वारा पूरी सड़क को बंद कर देने से इस आन्दोलन को लाभ नहीं हुआ बल्कि उसकी बदनामी हुई। शहजाद अली का यह दावा अर्थसत्य है कि वह शाहीन बांग आन्दोलन का हिस्सा था शहजाद अली आन्दोलन स्थल पर देखा गया था परन्तु आन्दोलन की दिशा तय करने या उसके सम्बन्ध में निर्णय लेने में उसकी कोई भूमिका

A large crowd of Indian women, many wearing colorful headscarves, gathered outdoors, likely at a protest or rally. The women are dressed in various traditional Indian attire, including sarees and lehengas, with many wearing headscarves in shades of red, blue, green, and black. They are sitting on the ground, some looking towards the camera while others look away. The scene suggests a large-scale gathering or protest.

इस समूदय के सभी वर्गों की महिलाओं ने हिस्सा लिया। आन्दोलनकारियों में गरीब, मध्यमवर्गीय और उच्चवर्गीय परिवारों की महिलाएं शामिल थीं। यह आन्दोलन पूरी तरह से जनतांत्रिक था। आन्दोलन के सम्बन्ध में निर्णय मुस्लिम महिलाओं की शपार्लिंयामेट्य द्वारा लिए जाते थे। जिन अन्य लोगों ने आन्दोलन का समर्थन किया उनकी केवल सहायक भूमिका थी जो भाषण देने, बयान कारण अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा किया गया बेजा बलप्रयोग था।

जाहिर है कि पुलिस की यह दमनात्मक कार्रवाई, भाजपा के नीति का भाग थी। परन्तु इस आन्दोलन के पीछे एक दूसरा, गहरा कारण भी था और वह था मुसलमानों में असंतोष के भाव का उपर्युक्त तलाक को अवैध घोषित कर मुस्लिम महिलाओं की मदद की है। सच है कि मुसलमानों को यह लग रहा है कि उन्हें पीछे धकेला जा रहा है तथा उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना रहा है। उन्हें गहरा (अनुठाकुर का बयान देश के गहरे को...) बताया जा रहा है, गाय नाम पर उनकी लिचिंग की जा रही और उन्हें आतंकी और लव जिहा कहा जा रहा है। पूरा मुस्लिम समू

अपने आप का असुरक्षित आरं खतर में पा रहा था। वह अपने आप में सिमटता जा रहा था। गोपाल सिंह आयोग, सच्चर समिति और रंगनाथ मिश्र आयोग की रपटों से यह साफ था कि सामाजिक-आर्थिक पैमानों पर मुसलमानों की हालत बाद से बदतर होती जा रही है। संघ परिवार के विषाक्त प्रचार के कारण पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को मुसलमानों के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने का अपना इरादा त्यागना पड़ा था। इन प्रयासों का जमकर विरोध हुआ और भगवा बिंगेड ने अनवरत यह कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान, पाकिस्तान के प्रति वफ़दार हैं और अपनी आबादी तेजी के बढ़ाकर बहुसंख्यक समुदाय बनने की घिराक में हैं ताकि देश में शरिया कानून लागू किया जा सके। कांग्रेस, जो कम से कम मुसलमानों के प्रति शाब्दिक सहानुभूति तो व्यक्त करती रहती थी, को मुस्लिम पार्टी घोषित कर दिया गया। देश में व्याप साप्रदायिक वातावरण के चलते कांग्रेस के नेता गांधी और नेहरू की तरह बहुवाद और विविधता के पक्ष में मजबूती से अपनी आवाज नहीं उठा सके। कांग्रेस उस विशाल प्रचार मशीनरी के सामने धराशायी हो गई जिसे आरएसएस ने काफ़ी मेहनत से खड़ा किया हा सब न उस प्राचीन मारत का गौरव गान करना शुरू कर दिया जिसमें मनुस्मृति के कानूनों का बोलबाला था। उसने ईस्ट एस्ट्रेलिया पर भी हमले शुरू कर दिए। उसने यह प्रचार शुरू कर दिया कि अल्पसंख्यक मुसलमान (2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी का 14.2 प्रतिशत), बहुसंख्यक हिन्दुओं के लिए खतरा है। सीएए-एनआरसी ने मुसलमानों को और भयभीत कर दिया। उहें लगा कि बड़ी संख्या में मुसलमानों को मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। सरकार ने लगातार ये आश्वासन दिए कि मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करने का उसका कोई इरादा नहीं है। परन्तु इन झूठे आश्वासनों पर मुसलमानों ने भरोसा नहीं किया। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर पुलिस की बर्बर कार्रवाइयों ने आग में घी का काम किया। एक अर्थ में शाहीन बाग आन्दोलन, स्वतंत्र भारत में मुसलमानों की बचना और उन पर अत्याचारों के खिलाफ प्रतिरोध की सजग अभिव्यक्ति थी। उससे भाजपा के इस दावे की पोल खुल दी कि सरकार की नीतियों के कारण मुस्लिम महिलाएं उससे बहुत प्रसन्न हैं। इस आन्दोलन ने इस धारणा को भा गलत सिद्ध कर दिया कि मुसलमान महिलाएं अपने पुरुषों के अधीन हैं और उनकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकतीं। मुसलमानों के साथ हो रहे अन्याय के विरोध में यह आन्दोलन एक मजबूत आवाज बन कर उभरा। इन्हीं जोरदार आवाज पहले कभी न उठी थी। इस आन्दोलन ने यह भी सिद्ध कर दिया कि मुसलमानों की निष्ठा भारतीय संविधान के प्रति है न कि शरीयत के प्रति। यह आन्दोलन पूरी तरह से स्वस्पूर्त था। आन्दोलनकारियों ने तिरंगे और संविधान की उद्देश्यिका को अपने प्रतीक बनाया। आन्दोलन स्थल पर गांधी और नेहरू के अलावा अम्बेडकर, पटेल, मौलाना आजाद और भगतसिंह के चित्र भी लगाये गए। आप दिल्ली में अपने आधार को मजबूत करना चाहती है। राष्ट्रीय स्तर के भृष्टचार के मुद्दे बहुत पहले उसके एजेंडा से गायब हो चुके हैं। वह अब भाजपा-मार्का अति-राष्ट्रवाद की पैरोकार बन गई है। और इसीलिये वह शाहीन बाग के प्रजातान्त्रिक जनान्दोलन को बदनाम करना चाहती है— उस आन्दोलन को जो आजादी की बात करता था, जो शहम देखेगेय गाता था और जो यह जोर देकर कहता था कि हिंदुस्तान किसी के आप का नहीं है।

# योजगाए नहीं, तो भते का इंतजाम

हक जानवाप हा इसल पहल दा  
न्यायाधीशों की पीठ ने प्रकाश बनाम  
पूर्लवती केस में कहा था कि  
संशोधित कानून की धारा-6 पूर्व से  
लागू नहीं होगी। अब विनीता शर्मा  
बनाम राकेश शर्मा केस के ताजा  
फैसले में तीन सदस्यीय पीठ ने  
उससे असहमति जताते हुए उसे पिता  
के जीवित होने या न होने से जोड़ने  
से भी मनाकर दिया है। यह भी कहा  
है कि पैतृक सम्पत्ति के मौखिक  
बंटवारे की दलीलें स्वीकार नहीं की  
जायेंगी और कानून की धारा-6  
(5) के अनुसार उसका बंटवारा  
रजिस्टर्ड डाइड से या फिर कोर्ट की  
डिक्री से होना चाहिए, ताकि बंटवारे  
में अनुचित तरीके अपनाकर बेटियों  
को हक से वर्चित न किया सके।  
तीन सदस्यीय पीठ के अनुसार बेटी  
का इस संबंधी हक जन्मसिद्ध है  
और उसे इससे किसी भी बहने  
वर्चित नहीं किया जा सकता। चूंकि  
अब अदालतों में लम्बित इस  
सम्बन्धी विभिन्न मामलों में टॉप कोर्ट  
की यही व्यवस्था लागू होगी, इसलिए  
निर्देशित किया गया है कि सम्बन्धित  
न्यायालय उनमें शीघ्र निर्णय करके  
व्यवधानों से मुक्त करें। दरअसल,  
यह मामला 2016 व 2018 के दो  
विरोधाभासी फैसलों के बाद कानूनी  
व्यवस्था तय करने के लिए तीन  
न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया  
था, जिसमें सबाल उठाया गया था  
कि संशोधित कानून कब से लागू  
होगा और क्या 9 सितम्बर, 2005  
यानी संशोधन से पहले पैदा हुई बेटी  
भी इसके तहत पैतृक सम्पत्ति पर

परइ होता ह जार विवाह के बाद हा  
उसके घर व अधिकार की व्यवस्था  
आरम्भ होती है। इस विवाह  
व्यवस्था को लागू हुए लगभग  
6000 वर्ष हुए हैं और इससे पहले  
की मातृसत्तात्मक व्यवस्था में एक  
साथ रहने के लिए विवाह व परिवार  
अनिवार्य शर्तें नहीं थीं। लेकिन अब  
हिन्दू मान्यताओं में विवाह की  
अनिवार्यता भी शामिल है, जिसके  
अनुसार बेटी का परिवार उसके  
विवाह के बाद ही अस्तित्व में आता  
है। स्थायी और अस्थायी सम्पत्तियों  
में स्थायी सम्पत्ति आमतौर पर पैतृक  
अधिकार द्वारा अर्जित की जाती है,  
जिसके बंटवारे में बेटियों को पराया  
माना जाता रहा है। जहां तक  
अस्थायी सम्पत्ति का प्रश्न है, नकदी,  
जेवर या अन्य सम्पत्तियों के रूप में  
उसका बंटवारा तो आसान है,  
लेकिन विवाहित बेटी दूसरे घर को  
अपना घर मानकर जायेगी और  
पैतृक सम्पत्ति के नाम पर पिता की  
भूमि भी पायेगी, तो एक तो भूमि का  
टुकड़े में वितरण बढ़ेगा और दूसरे,  
वह उसकी व्यवस्था से भी जुड़  
जायेगी। आमतौर पर बेटियों के पिता  
के घर और ससुराल में लम्बी दूरी  
होती है। ऐसे पिता से मिली भूमि के  
प्रबन्धन का उसके पास एक ही  
रास्ता बचेगा कि वह उसे बेच ले,  
जिस पर कोई पाबन्दी नहीं है।  
लेकिन उसके हिस्से की भूमि पुराने  
रूप में बची रही, तो बेटी का मायके  
व ससुराल का द्वन्द्व बढ़ा ही  
जायेगा। इस रूप में यह सबाल  
लिंगभेद से उत्पन्न समस्याओं व

ह, लोकन बटा का बर तो ज्ञ  
हिस्सा लेने के बाद भी उसके प  
का घर ही रहेगा। कहा जा रहा है  
इससे उसके आर्थिक आधार  
मजबूती आयेगी और भारत  
समाज की महिलाओं को द्वितीय  
श्रेणी का नागरिक मानने की परम  
बदलेगी। विवाह के बाद बेटी ने  
की पैतृक सम्पत्ति लायेगी तो उस  
उसका नया परिवार भी लाभान्वित  
होगा, क्योंकि वह सम्पत्ति उस  
संयुक्त सम्पत्ति का हिस्सा  
जायेगी। लेकिन बेटी और उस  
सम्पत्ति को परिवार से पृथक  
गया तो परिवार में संयोजन के बज  
वियोजन की प्रवृत्तियों का विस  
होगा। हम जानते हैं कि बेटी हो  
बेटा, दोनों का जन्म एक ही प्रतिक्रिया  
के अनुसार होता है। लेकिन ह  
देश और समाज में अभी बेटी  
समाज व परिवार में बेटों ज  
निर्णायक अधिकार पूरी तरह से न  
मिल पाये हैं। ऐसे में नैतिक दृष्टि  
यह उचित ही है कि बेटी  
अधिकारसम्पत्ति किया जाये क्यों  
वह सृष्टि के मूल कारणों में है त  
उसके बगैर यह संसार ही नहीं च  
पायेगा। मातृसत्तात्मक  
पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं में  
अन्तर यही है कि इनमें से प  
भेदभावकारी है और दूसरी परिव  
को छोटा के बजाय बड़ा बनाती  
है। इस बड़े परिवार की स्वतंत्रता  
पुरुषवर्चस्व वाले समाज जैसी न  
होतीं। सृष्टि के विकासक्रम में  
स्वतंत्र जीवन और बिना शा  
विवाह के सहजीवन तक

The image is a composite of three distinct parts. At the top left, there is a sketch-like drawing of the Indian Parliament building's dome and surrounding structures. To the right of the dome, a hand wearing a white glove holds a large, solid red wooden gavel. The central portion of the image contains a block of text in Hindi, which is the main content of the page.

# पापा रादा का नया रूपा रादा



तेज करते हुए इसमें कई नये आयाम जोड़े गये हैं। इसकी परिकल्पना स्कूली शिक्षा के लिए 'वन नेशन वन डिजिटल पोर्टलश' के रूप में की गयी है, जो केंद्रीय एजेंसियों (जैसे एनसीइआरटी, सीबीएसइ आदि) तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा ई-कंटेंट की सुविधा प्रदान करता है। अभी तक इसके अंतर्गत लगभग 95,000 ई-कंटेंट विषयवस्तु अपलोड किये गये हैं और ये 15 भाषाओं में उपलब्ध हैं। नयी शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने की बात की गयी है। विश्वभर के पंद्रह वर्ष तक के स्कूली बच्चों के मूल्यांकन हेतु बने 'पीसा' (प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट) में भारत की भागीदारी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी ली गयी है। अभी तक 79 देश इसके सदस्य हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। इसमें शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय मानक के अनुसार सीखने-सिखाने की प्रणाली के गया है। इसमें 19 क्षेत्रों के अंतर्गत आनेवाले 55 भिन्न रोजगारों से जुड़े व्यावसायिक पाठ्यक्रम छात्रों को प्रदान किये जा रहे हैं। स्टार्स (स्ट्रेथेनिंग टीचिंग-लर्निंग एंड रिजल्ट्स पॉर स्टेट्स प्रोग्राम) का उद्देश्य भी छात्रों को उनके स्कूली जीवन में ही व्यवसाय और बाजार से परिचित कराना है। विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त 'स्टार्स' चयनित छह राज्यों के विद्यालयों में श्रेष्ठ शिक्षा और बाजार के अंतरसंबंध का भी मूल्यांकन करते हुए छात्रों को नौकरी के बजाय व्यवसाय से आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग पर बल दे रहा है। मदरसों, अल्पसंख्यक स्कूलों को तकनीकी संपत्र बनाते हुए, मुख्यधारा में जोड़ने की वृहद योजना इस नीति में है। इस नीति के तहत पांचवीं कक्षा (इसे आठवीं तक बढ़ाया जा सकता है) तक मातृभाषा में शिक्षा देना है। इसके साथ ही छात्रों को भारत की बहुभाषिक संस्कृति से परिचित कराने हेतु 'भाषा संगम' पाठ्यक्रम बनाया गया है, जिसके में गणित तथा विविध विज्ञान को पुस्तकें भी दो भाषाओं में उपलब्ध होंगी। इससे छात्रों को विषय समझने में भाषा की जटिलताओं से नहीं जूझना पड़ेगा। नयी शिक्षा नीति में खेल और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया गया है। प्रत्येक स्कूल में हर छात्र का स्वास्थ्य कार्ड बनेगा और निश्चित अंतराल पर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण किया जायेगा। नीति में मानसिक स्वास्थ्य पर भी पर्यास बल दिया गया है। 'मनोर्दर्पण' (इसकी शुरूआत कोविड-19 के दौरान की गयी) विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संदर्भों में सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा निःशुल्क राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर और वेब पेज भी शुरू किया गया है। स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी विस्तृत जानकारी की आसानी से उपलब्धता के लिए शुगुन ऑनलाइन जंकशन प्रारंभ किया गया है। बच्चे देश के भविष्य होते हैं। उनमें हम जितना निवेश करेंगे, हमारा भविष्य उतना ही



